ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-12* January- 2021
Innovation The Research Concept

महात्मा गांधी का महिलाओं के प्रति सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण

Mahatma Gandhi's Approach to Social Justice towards Women

Paper Submission: 01/01/2021, Date of Acceptance: 23/01/2021, Date of Publication: 25/01/2021

अरुण कुमार
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
राजगढ, अलवर,
राजस्थान, भारत

सारांश

वैदिक काल में आर्य समाज में नारी का बड़ा सम्मान होता था परंतु समय के साथ–साथ धीरे–धीरे इनकी स्थिति शोचनीय होती गई।

नारी और पुरुष के समान अधिकार की स्थिति वैदिक काल की विशेषता है पर दुर्भाग्य इस राष्ट्र का की भारतीय नारी अपने इस गौरवपूर्ण पद पर अधिक दिनों उपस्थित नहीं रह सकी इसके सम्मान में और समानता में स्थिति का ह्रास होने लगा।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' (जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है) वाले देश भारत में पुरुष को असीम अधिकार तथा नारी को कर्तव्य दिए गए नारी को विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों से अलग समझा गया उनकी स्वतंत्रता का अपहरण हुआ।

महात्मा गांधी ने 19वीं शताब्दी में सामाजिक क्षेत्र में, दयानंद सरस्वती ने धार्मिक क्षेत्र में तथा साहित्य क्षितिज में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अवतरण ने नारी की दयनीय दशा को समझा तथा उनके उत्थान के लिए अथक प्रयास प्रारंभ किए जिसने भारतीय नारियों के नवजागरण की दिशा में बड़ा संदेश दिया

महात्मा गांधी ने लिखा ''स्त्री अहिंसा की जीती जाती मूर्ति है अहिंसा का अर्थ असीम प्रेम और असीम प्रेम का अर्थ है कष्ट सहने की अपारशक्ति, पुरुष की तुलना में यह शक्ति महिला में अधिक होती है।

राजा राममोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारी सम्मान के लिये सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न आंदोलन चलाए, परंतु महात्मा गांधी नारी जगत में पूर्ण आलोक लाना चाहते थे, उन्होंने एक ओर नारी को भारतीय संस्कृति के आदर्शों की उपादेयता बताई तो दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता के चंगुल में फंसने से भी बचाया। महात्मा गांधी ने नारी जाति को भय, आशंका, चिंता की अवस्था से बाहर निकालकर आशा, आभा, आनंद के संगम पर ला खड़ा किया सामाजिक न्याय के लिए स्त्री एवं पुरुष के समान अधिकार के पक्षधर होते हुए भी महात्मा गांधी तलाक के पक्षधर नहीं थे।

महात्मा गांधी स्त्री शिक्षा के बड़े प्रबल समर्थक थे उन्होंने कहा था– मैं मानता हूं कि स्त्रियों को उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि पुरुष की नकल करके अथवा इनके साथ प्रतिस्पर्धा करके नारी की स्थिति में खास सुधार सम्भव नही है। वह पुरुष के साथ दौड़ लेगी लेकिन पुरुष की नकल करने की वजह से वह उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी जहां पहुंचने की उसमें शक्ति है।

महात्मा गांधी मातृत्व को संसार का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य मानते थे वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा को मिटाने के लिए गांधी जी ने ठोस उपाय बताएं।

During the Vedic period, there was a lot of respect for women in the Arya Samaj, but with the passage of time, their status gradually became miserable. The status of equal rights of women and men is characteristic of the Vedic period, but unfortunately her honor and equality began to be felt.

Raja Rammohan Roy, Maharishi Dayanand Saraswati launched various movements in the social field for the honor of women, but Mahatma Gandhi wanted to bring full light to the women's world, on the one hand, he told women the utility of the ideals of Indian culture and on other hand, saved her from getting stuck in Western civilization.

Mahatma Gandhi brought the woman out of the state of fear, apprehension, anxiety and brought it to the confluence of hope, aura, bliss, and in spite of the equal rights of women and men for social justice, Mahatma Gandhi was not in favor of divorce. Mahatma Gandhi was a very strong supporter of women's education. He had said- I believe that women should get appropriate education but at the same time I also believe that there is no possible improvement in the condition of women by copying or competing with men.

Mahatma Gandhi considered motherhood as the greatest religious duty of the world, Gandhi ji showed concrete measures to eradicate prostitution, devadasi system.

मुख्य शब्द : मातृत्व Motherhood, अधिकार Rights, सम्मान Respect, कर्तव्य Duty, देवदासी Devadasi, वेश्यावृत्ति Prostitution, श्रृंगार एवं सौंदर्य Make-up and Beauty.

प्रस्तावना

वैदिक काल में आर्य समाज में नारी का सम्मान होता था, परन्तु समय के साथ साथ धीरे धीरे उसकी स्थिति शोचनीय होती गयी। धीरे–धीरे कन्या का जन्म अभिशाप माना जाने लगा तथा कुछ वर्गो में तो उसका जन्म होते ही गला घोट दिया जाता था। उन्हें शिक्षा का अधिकार रहा अथवा नहीं इस पर पर्याप्त मतभेद मिलता है किन्तु मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, इन्द्राणी और घोषा प्राचीन युग में अत्यंत विदुषी नारियॉ थी। साधारण नारी भी उस युग में आवश्यकता पडने पर कताई–बुनाई आदि धन्धे करके आजीविका कमा लेती थी, क्षत्रिय परिवारों में कन्या सैनिक शिक्षा प्राप्त करती थी। अपने पति के चुनाव का उन्हें पूर्ण अधिकार था और स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था, कुछ नारियॉ आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए आजन्म अविवाहित रह जाती थी। कुछ साल तक यह परम्परा जैन एवं बौद्ध धर्मावलम्बियों में भी वर्तमान रही। उस समय विवाह में दहेज प्रथा प्रचलित नही थी, हॉ कुछ सम्पन्न परिवार अपने जमाता को उपहार अवश्य दे देते थे। प्राचीन काल में अन्तर्जातीय तथा 'अनुलोम' विवाह भी होते थे, स्त्रियॉ आवश्यकता पडने पर पुनर्विवाह, विधवा विवाह तथा नियोग का आश्रय ले लेती थी।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय नारी के सम्मान को बढ़ाना,
2. भारतीय समाज की वास्तविकता दशा उजागर करना,
3. नारी के अधिकारों को प्रतिस्थापित करना,
4. पुरुष और महिला विभेद को मिटाना,
5. भारतीय सभ्यता के उज्जवल पक्ष को रेखांकित करना।

नारी और पुरुष के समानाधिकार की स्थिति वैदिक काल की विशेषता है। पर दुर्भाग्य इस राष्ट्र का कि भारतीय नारी अपने उस गौरवपूर्ण पद पर अधिक दिनों प्रतिष्ठित न रह सकी, उसके सम्मान और समता में स्थिति का हास होने लगा। वह सहचरी न रहकर, दासी बनकर रह गयी, उसे पुरुष द्वारा शारीरिक दण्ड दिया जाने लगा। यज्ञ से बहिष्कृत किया गया। उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया तथा उनका उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया। बाल विवाह का विधान बना देने से वह शिक्षा से वंचित रह गयी। अशिक्षित, अनुभव शून्य भयभीत और अल्प आयु की वधु पति को अपना गुरु, आदर्श एवं भगवान मानने को बाध्य हुयी। सतीत्व ही उसके जीवन का परम आदर्श बताया गया, पति कामी, क्रोधी, भावुक, दुःशील, परस्त्रीगामी ही क्यों न हो, उसे ही अपना ईश्वर उसके सभी अत्याचारों को सहना और साधवी बने रहना यही नारी की मुक्ति का साधन बताया गया। विधवा विवाह की प्रथा भी समाप्त हो गई। मध्यकाल में आते–आते भारत की नारी को अबला बना दिया गया तथा ऐसे आख्यान लिखे गये जिनमें पतिव्रताओं के अमर बलिदान, अपूर्व त्याग एवं निष्ठा का गौरव .'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' (जहॉ नारी को पूजा जाता है वहॉ देवताओं का वास होता है) वाले देश भारत में पुरुष को असीम अधिकार तथा नारी को असंख्य कर्तव्य दिये गये, जिसके कारण पुरुष अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगा, स्त्रियॉं परित्यक्तायें बनीं। अतएव समाज में व्याभिचार को प्रश्रय मिला। नारी देवी के स्थान से गिरते गिरते वेश्या के निम्न स्थान पर आ लगी। उसे चारों ओर यही आवाज सुनाई पडी– नारी कामिनी है, चंचल है, कपटी है, इससे बचो। तुलती तक ने कह डाला 'अधम ते अधम अधमतर नारी संत कबीर ने भी कहॉ था नारी की बांई पडत अंधा होत भुजंग। ईसा की तीसरी शताब्दी से लेकर अब तक हिन्दू नारी के लिए पराधीनता निन्दा अशिक्षा पर्दा, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा, सतीत्व वेश्यावृति, सम्मिलित परिवार आदि एकांगी आदर्शो और प्रवृतियों और नैतिकता के दोहरे मानदंड द्वारा जो चतुर्दिक घेरा डाला गया तथा उसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परेशानियों में उलझााया गया उससे दिनोदिन उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण हुआ। इससे स्त्रियों की दुरवस्था का सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है।

सौभाग्य से अथवा परिस्थितियोंवश उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक क्षेत्र में महात्मा गांधी धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानन्द और साहित्यिक क्षितिज में भारतेंदू बाबू हरिशचन्द्र अवतरित हुए जिन्होनें नारी की दयनीय दशा देख उसे नवलोक और नव जीवन के दर्शन करवाये महात्मा गांधी भारतीय नारीयों के लिए नव जागरण का संदेश लेकर आये। वे नारी स्वतन्त्रता के बडे समर्थक थे महात्मा गांधी ने केवल पढा ही नही अपनी ऑखो से देखा भी था कि नारी जाति कितनी आहत है पीडित है, शोषित है महात्मा गांधी तो दलित के हिमायती थे ही, अतः उन्होने नारी की दीन–हीन स्थिति को सुधारने का व्रत लिया महात्मा गांधी जानते थे कि नारी जाति में पुरुषो की तुलना में पाशविकता कम है स्नेह त्याग, बलिदान प्रेम क्षमा, सहनशीलता और अहिंसा अधिक है। इसलिए वह पुरुष से महान है इसलिए उसे सोचनीय स्थिति में नही रहने देना चाहिए वह संसार में अहिंसा सहनशीलता द्वारा स्थाई शांति ला सकती है। महात्मा गांधी ने अपने इन विचारों का प्रतिपादन करते हुए लिखा भी है स्त्री अहिंसा की जीती–जागती मूर्ति है अहिंसा का अर्थ है असीम प्रेम और असीम प्रेम का अर्थ है कष्ट सहने की अपार शक्ति पुरुष की जननी स्त्री के सिवा और किस में यह शक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रकट होती है यह शक्ति स्त्री उस वक्त प्रकट करती है जब वह 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है उनका पोषण करती है और उसमें जो कष्ट होता है उससे आनंद अनुभव करती है प्रसूति की पीड़ा से और अधिक क्या पीड़ा हो सकती है लेकिन तब नवसृजन की खुशी में वह सब कुछ भूल जाती है यह ख्याल से कि मेरा बच्चा दिनों–दिन बड़ा हो, जो रोज मुसीबत कौन झेलता है। अपना यह प्रेम स्त्री सारी मानव जाति को दे सकती है तो उसे पुरुष की माता उसकी निर्मात्री और उसकी एक पत्नी का गौरवपूर्ण पद प्राप्त हो जाएगा, युद्ध में फंसी हुई दुनिया शांति के अमृत की प्यासी है उसे शांति की कला सिखाने का काम स्त्री का है।''

कुछ विशेष कारणों से लंबे समय से पुरुषों ने स्त्री पर अपना अधिकार जमा लिया उसने स्त्री को अबला कहा और नारी में अपने को हीन समझने की मनोवृति आ गई। इस दिशा में पुरुष ने अपने स्वार्थी होने का परिचय दिया क्योंकि उन्होंने कानून बनाने का कार्य एवं शक्ति

और कार्य समाज ने मध्य युग में पुरुष के हवाले कर डाला। इसलिए उसने ऐसे कानून बनाए जिसमें स्त्री जाति को शिक्षा तथा विद्या प्राप्ति से वचिंत कर दिया गया उसे पर्दे में रहने की विधि सिखाई गई। जिससे उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास रुक गया, गांधी युग से राष्ट्रीय जागृति और आंदोलन का युग आरंभ होता है, सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारी को सामाजिक क्षेत्र में समानता दिलाने का आंदोलन आरंभ किया, वैसे उनसे पूर्व राजा राम मोहन राय (1774–1833) सती प्रथा को बंद कराने का आंदोलन आरंभ कर चुके थे परंतु दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी नारी जगत में पूर्ण आलोक लाना चाहते थे, उन्होंने एक ओर नारी को भारतीय संस्कृति के आदर्शों की उपादेयता बताई तो दूसरी ओर पश्चात सभ्यता के चंगुल में फंसने से बचाया। जो सभ्यता नारी को घर की चारदीवारी से बाहर निकाल कर दिव्य लोक साक्षात्कार नहीं कराती वरन् बंदूक उठाने, अभिनय करने और पुरुष की कामुकता की तृप्ति बनने का पाठ पढ़ाती है उसको तितली बनाकर एक नई कष्ट पूर्ण स्थिति में जकड़ देती है, वह शिक्षा एवं समान अधिकार के नाम पर जीवन के सहज आदर्शों से फिसल कर या तो जीवित वेश्या बन जाती है अथवा फिर कुकृत्य से आत्महत्या कर लेती है, महात्मा गांधी ने नारी जाति को भय, आशंका, चिंता की त्रस्मयी अवस्था से बाहर निकालकर आशा, आभा, आनंद के संगम पर ला खड़ा किया, उनका लक्ष्य इस युग में सीता, दमयंती और द्रौपदी जैसी पतिव्रता, दृढ़ता, सहनशील और अहिंसा प्रवृती अपनाने वाली नारियाँ पैदा करना था जो हिंदू समाज और भारत का नाम विश्व में रोशन करें वह उन्हें पुरुष के समान अधिकार दिलाना चाहते थे। इस विषय में उन्होंने कहा था–

''स्त्री पुरुष की सहचारी हैं और उनकी मानसिक शक्तियाँ पुरुष से जरा भी कम नहीं है उसे पुरुष के छोटे से छोटे कामों में हाथ बंटाने का अधिकार है और आजादी का उसे उतना ही अधिकार है जितना पुरुष का, उसके क्षेत्र में उसकी सर्वोच्चता उसी प्रकार स्वीकार की जानी चाहिए जिस प्रकार पुरुष की उसके क्षेत्र में, यह तो स्वभाविक स्थिति होनी चाहिए न कि लिखना–पढ़ना सीखने का परिणाम केवल बुरे रिवाज के जोर पर जाहिल से जाहिल और निकम्मे से निकम्मे पुरुष को स्त्री पर सरदारी मिली हुई है जिसके वे अधिकारी नहीं है और जो उन्हें मिलनी चाहिए। हमारी स्त्रियों की दुर्दशा के कारण हमारे बहुत से आंदोलन अधूरे रह जाते हैं, हमारे बहुतेरे कामों का ठीक नतीजा नहीं निकलता, हमारी हालत अशरफिया लूटने और कोयले पर मुहर की नीति पर चलाने वाले व्यापारी जैसी हैं जो अपने व्यापार में काफी पूंजी नहीं लगाता।'' महात्मा गांधी यही चाहते थे कि पुरुष अपने को स्त्री का स्वामी नहीं मित्र माने, सहचर समझे, वास्तव में स्त्री–पुरुष एक दूसरे के पूरक है, ना कि स्वामी और दास।

स्त्री–पुरुष असमानता का सबसे बड़ा शिकार नारी बनती आई है, यह असमानता कई कारणों से आती है, अधिकतया नारी को स्वावलंबन से वंचित रखा जाता हैं। नारी जीवन का क्या महत्व है? पैदा होते ही भाई–बहन और माता–पिता की घुड़कियों से ही फुर्सत नहीं मिलती, जरा बड़े हुए कि खाना बनाओ, सीना–पिरोना सीखो, यह तो पराया धन है इससे जितना हो सके दबाकर काम करवा लो फिर तो चले ही जाना है अतः अभी मन भरकर रक्त निचोड़ लो, पढ़ा–लिखा कर कौन इसकी कमाई खानी है रहने दो कन्या बिना पड़ी ही अच्छी, भला किस शास्त्र में लिखा है कि कन्या को पढ़ाओ और फिर उनका विवाह कर दिया जाता है और विवाह भी हिंदू नारी के लिए अभिशाप सिद्ध होता है विवाह की नीतियां भी कुछ इस प्रकार की है इस देश में बाल विवाह, अनमोल विवाह, बहु विवाह अभिभावकों द्वारा आयोजित अर्पित विवाह, दहेज आदि कुरीतियां समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुई हैं। बापू के इस देश में 1901 की जनगणना के अनुसार 80% अन्याय पूर्ण व प्राप्ति से पूर्व ही विवाह मंडप पर बैठा दी गई है इस पर ही बस नहीं। एक समाजशास्त्री ने तो लिखा है भारत में 40% का 10 से 15 वर्ष की अवस्था में और 10% 5 से 10 वर्ष के बीच और हर 72 लड़कों के साथ लड़की का विवाह 1 से 3 की उम्र में हो जाता है इस घातक परंपरा के कारण नारी की स्थिति इतनी दयनीय रही होगी इसकी सहज कल्पना करना बहुत आसान है। सरकार ने इस कुरीति को मिटाने के लिए 1929 में शारदा एक्ट पास किया, किंतु समाज ने इस एक्ट की भी धज्जियां उड़ा डाली।

पूज्य बापूजी ने बाल–विवाह का घोर विरोध किया था। उनके प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद ने इसके विरूद्ध आवाज उठाई और समाज में इस कुप्रथा का प्रभाव घटाया। महात्मा गांधी ने महिलाओं को सम्बोधित कर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बाल–विवाह से उन्हें घृणा है और विधवा बालिका को देखकर वे कांपने लगते हैं। तथा स्त्री के देहांत के पश्चात् तुरंत विवाह करने वाले पुरूष को देखकर पागल हो जाते हैं। वस्तुतः यही तो नैतिकता की दोहरी नीति थी जिसे समाज में प्रचलित देख महात्मा गांधी विक्षुब्ध थे। इस दोहरी नीति के फलस्वरूप स्त्री पुरूष में भारी असमानता थी। जहां विवाह से असंतुष्ट होते ही पुरूष उसे सर्प की केंचुली की तरह उतार फेकता था। स्त्री को परित्यक्ता का अभिशप्त जीवन बिताने पर विवश कर देता था, वहां बेचारी नारी विवाह सम्बन्ध को अविच्छेद बंधन के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश रही, उसे सामाजिक नियमों के अनुसार बिना किसी प्रकार के विरोध के अच्छे अथवा बुरे पति नाम के जीव के साथ छाया की तरह रहने को बाधित किया गया। महात्मा गांधी ने अपनी आंखों से पागल् क्रोध, निर्दयी, कोढी, क्रूर और नृषंस पति का दामन पकडे भारतीय सती को देखा, तब उन्होंने घोषणा की – ''इस मनुष्य जाति ने यों तो संसार के अनेक पापों और बुराइयों के लिए अपने को जवाबदेह बनाया है, परंतु उन सब में कोई भी पाप इतना नीचे गिराने वाला, दिल दहलाने वाला और हैवानियत से भरा हुआ नहीं है जितना कि उसके द्वारा किया हुआ स्त्री जाति का दुरूपयोग है। स्त्री को मैं देवी समझता हूं, अबला नहीं। स्त्री आज भी बलिदान, कष्ट, नम्रता, श्रद्धा और ज्ञान की प्रतिमा हैं और इसलिए स्त्री–पुरूष दोनों में एकमात्र स्त्री ही अधिक उच्च और श्रेष्ठ है।''

महात्मा गांधी इस बात के पक्षपाती थे कि स्त्री को स्वाधीनता मिले, अपना जीवन–साथी चुनने का अधिकार मिले। वे अंर्तजातीय विवाह को भी बुरा नहीं मानते थे। किंतु महात्मा गांधी तलाक के पक्षपाती नहीं थे। उनका कहना था कि विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानना चाहिए। गांधी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचन्द ने भी अपने उपन्यास 'गोदान' में एक पात्र प्रो. मेहता द्वारा कहलाया है– विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता मानता हूं और उसे तोडने का अधिकार न पुरूष को है न स्त्री को, समझौता कराने से पूर्व आप स्वाधीन हैं। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं।''

महात्मा गांधी के युग में भारत में तलाक के लिए एक विशिष्ट विचारधारा पल्लवित होने लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद् द्वारा 1934 में उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका तीव्र विरोध भी हुआ। कानपुर में हुए दूसरे अधिवेशन में तलाक विषयक प्रस्ताव अल्प बहुमत द्वारा गिर गया। भारत में तलाक के विषय को लेकर गर्मा–गर्म वाद–विवाद होने लगे।

बडौदा राज्य की सरकार ने सबसे पहले 1931 में 'हिन्दू तलाक कानून' बना भी डाला, फिर भी मतभेद समाप्त नहीं हुए। भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हिन्दू कोड बिल पास कराया जिसका पहले–पहल तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने विरोध भी किया था जिसके फलस्वरूप वह बिल टुकडों में पास कराया गया। इस कानून से हिन्दू पत्नी की कानूनी अवस्था तो अवश्य बेहतर हुई किन्तु सामाजिक और पारिवारिक दशा दयनीय हो गई। कानून द्वारा प्राप्त अधिकार मिल जाने पर भाई–बहन के पवित्र प्रेम का विघटन हुआ और कानून द्वारा तलाक प्राप्त स्त्री का सामाजिक स्तर गिरने लगा। कोई युवक सहर्ष उनसे पुनर्विवाह के लिए तैयार होने में हिचकने लगा ।

समाज के न्याय का मानदंड स्त्री और पुरूष के लिए एक हो, महात्मा गांधी यह तो चाहते थे, परन्तु तलाक के पक्षपाती वे भी न थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है मेरी दृष्टि में विवाहित जीवन वैसी ही साधना की अवस्था है जैसी कोई दूसरी। कर्तव्य एक कसौटी है। विवाहित जीवन का उद्देश्य इस लोक और परलोक दोनों में एक दूसरे का कल्याण करना है। इसका ध्येय मानव जाति की सेवा करना भी है। जब एक साथी अनुशासन नियम को भंग करता है तब दूसरे को बंधन तोड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहां तोड़ने का नैतिक अर्थ है, शारीरिक नहीं। इसमें तलाक की मनाही है। पति अथवा पत्नी अलग हो जाते है, मगर होते हैं उसी हेतु को पूरा करने के लिए जिसकी खातिर उनका मेल हुआ था। हिन्दू धर्म में दोनों को बिल्कुल बराबरी का माना गया है। इसमें शक नहीं कि व्यवहार दूसरी तरह का चल पडा है। भगवान जाने ऐसा कब से हुआ? इसी तरह की और भी अनेक बुराइयां उसमें घुस आई हैं। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि हिन्दू धर्म में व्यक्ति को इसकी पूरी छूट दी गई है कि वह आत्मज्ञान के लिए चाहे जो करे, क्योंकि मनुष्य जन्म आत्मज्ञान के लिए ही होता है। फिर जो आत्मज्ञान के लिए चिंतित रहेगा, उसे तलाक के लिए सोचने का अवसर ही कहां मिलेगा। महात्मा गांधी तो विवाह को एक पवित्र बंधन मानते थे, एक आर्दश मानते थे जो शरीर के जरिये आत्माओं का मिलान कराने की सीढ़ी का काम करता है। उनका स्पष्ट कथन था कि विवाह के चुनाव में आध्यात्मिक उन्नति को ही प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। काम–वासना की तृप्ति को साधन मानकर किये जाने वाले विवाह के संबध में आपने एक स्थान पर लिखा – काम–वासना को पूरा करने के लिए किया हुआ विवाह, वास्तव में विवाह नही, वह विचार है।'' इसलिए महात्मा गांधी विवाहित जीवन को एक वरदान मानते थे और उसमें आत्मसंयम के कायल थे। विवाह द्वारा वह स्त्री–पुरूष की समानता लाना चाहते थे। उनकी दृष्टि में आदर्श दंपति वही है जिसमें पति–पत्नी एक–दूसरे को स्वामी–दासी न मान, सच्चा मित्र माने, सहयोगी माने।

महात्मा गांधी भारतीय विधवा की करूण दशा देख रो उठते थे। देश में सती प्रथा कानून ने विधवा को जीवित जलाने से अवश्य बचा लिया था किन्तु सत्य यह है कि इसके बदले उसे आजीवन चिन्ताग्नि में जलने को विवश कर दिया जाता है। भड़कीले वस्त्र–आभूषण उससे छीन लिए जाते है, पर्व–विवाह पर उसे दूर बैठा दिया जाता है। बहिष्कृत् अपमानित, कुंठित भारतीय विधवा का जीवन नारकीय जीवन था जिसकी कोमल कामनाओं, पावन भावनाओं, अनचिन्हित अतंर्द्वन्दो को पुरूष वर्ग की स्वार्थपरता, संकुचितता और नृशंसता ने सदैव ठुकराना ही सीखा है। विधवाओं की यह करूण दशा देख कर स्वामी दयान्द सरस्वती ने विधवा–विवाह का समर्थन किया और इसे वेदों के आधार पर प्रमाणित बताया स्वामी दयान्द सरस्वती के समकालीन समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर (1820–91) ने अपना जीवन इस विधवा–समस्या पर लगाकर उन्होंने विधवा–विवाह आंदोलन चलाया। यह इनके ही के सदप्रयासों का प्रतिफल था कि 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। उन्होंनें जनमत इस अधिनियम के पक्ष में तैयार करने के लिए ''विधवा विवाह'' नामक एक पुस्तक भी लिखी। महाराष्ट्र के महादेव गोविन्द रानाडे (1842–1901) तथा प्रो. कर्वे ने विधवा विवाह के प्रयोजन को गति दी। परन्तु इस दिशा में स्त्री जाति का उत्थान करने और पुरूष जाति को मार्ग दिखाने का सबसे अधिक कार्य महात्मा गांधी ने ही किया। वे लिखते है– ''मैंने कई बार कहा है कि विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का उतना ही अधिकार है, जितना पुरूष को। स्वेच्छा से वैधव्य हिन्दू समाज का अमूल्य वरदान है परन्तु ऊपर से लादा हुआ वैधव्य अभिशाप है और मुझे विश्वास है कि यदि हिन्दू विधवायें जनमत के भय से मुक्त हों, तो वे बिना हिचक के पुनर्विवाह कर लेगीं। ..... यह किसी संस्था का काम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सुधार का तथा इन विधवाओं के सम्बन्धियों का काम है। जब वें बडी हो जायें और विवाह करना चाहें, तो उनको केवल यही कहना चाहिए कि वे कुमारी कन्याओं की तरह विवाह करने को स्वतंत्र है।'' पूज्य बापू तो बाल–विधवाओं की पारिवारिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा सुधारना चाहते थे। उन्हें

इस बात का भारी क्षोभ था कि इस देश में बडी संख्या में विधवाएं बेची जा रहीं है और धर्म परिर्वतन कर रही हैं।

महात्मा गांधी स्त्री शिक्षा के बड़े प्रबल समर्थक थे। महात्मा गांधी के जन्म से पूर्व स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षा का महत्व चूंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करने तक सीमित था, अतएव स्त्रियों को उसकी अधिकारणी ही नहीं माना जाता था। स्कूल अधिकतर लडकों के लिए ही थे। 1854 में सर चार्ल्स वुड की शिक्षा योजना में लडकियों को लडकों के स्कूलो में जाने की आज्ञा मिली परन्तु पर्दा प्रथा और बाल–विवाह के कारण अधिकतर कन्याएं ज्ञान अर्जित करने से वंचित रह गई। उन्हें शिक्षा मिले, इसके लिए साहित्य–सम्राट भारतेन्दू बाबू हरीशचंद्र तथा धर्मवेत्ता स्वामी दयान्द सरस्वती और समाज सुधारक पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, प्रो करवे आदि ने विद्यालयों से अथक प्रयास किए। अखिल भारतीय नारी परिषद तथा अन्य संस्थाओं ने भी स्त्रियों के सामाजिक संस्कृति शैक्षणिक उत्थान के लिए कोई कसर नहीं रखी, पूज्य महात्मा गांधी ने नारी जाति की अशिक्षा के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करके कहा ''स्त्रियों को उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए यह मैं मानता हूं लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि पुरुष से नकल करके अथवा उसके साथ स्पर्धा करके दुनिया को अपनी कोई खास चीज नहीं दे सकेगी, वह पुरुष के साथ दौड़ तो सकेगी लेकिन पुरुष की नकल करने की वजह से वे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी जहां पहुंचने की उस में शक्ति है, स्त्री को तो पुरुष की सहायक अथवा पूरक बनना चाहिए जो काम पुरुष न कर सके वह उसे करना चाहिए।'' महात्मा गांधी चाहते थे कि नारी को स्कूल में गृह विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, पाक विज्ञान स्वास्थ रक्षा, शिशु पालन, ग्रह कला, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाए उनकी शिक्षा अधिक खर्चीली न हो, स्तरीय अच्छा वर पाने के लिए अंग्रेजी पढ़े, इसे वे मानसिक दासता और पतन मानते थे, देशी भाषाओं को उपेक्षा और अंग्रेजी में वार्तालाप स्त्रियों के मुख से उन्हें अत्यधिक खलता था।

युग चिंतक महात्मा गांधी में कोमल स्वभाव का सहज गुण है उन्होंने सहज भाव से गंभीर समस्याओं पर चिंतन किया और उनका समाधान प्रस्तुत किया था। स्त्री का कार्यक्षेत्र क्या हो, यह गंभीर प्रश्न जब उनके सामने आया तब उन्होंने अपने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नारी को भी देखा जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त साहब की बीवी बन गई थी, उन्होंने देश पर मर मिटने को तैयार सत्याग्रह के लिए आतुर स्त्रियों को भी देखा था तब यह सब देखते हुए भी वे स्त्री समाज के लिए कोमल काम के पक्षपाती थे क्योंकि वे जानते थे कि पुरुष उम्र कठोर शुष्क तथा प्रतिशोध, क्रोधी है जबकि स्त्री दयालु, क्षमाशील कोमल, सरल, सहानुभूति है, प्रेरणा है, नारी और पुरुष में इस सवाल को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी ने बार–बार संकेत दिया था कि स्त्री और पुरुष समान है परंतु एक का स्थान दूसरा नहीं ले सकता। महात्मा गांधी नारियों की आर्थिक स्वतंत्रता के कायल नहीं थे वे तो स्पष्ट कहते मैं इसे नियम के रूप में नहीं मानता की पत्नी अपने पति से स्वतंत्र होकर अपना कोई धंधा करे, यह अनुपयोगी है, उसके लिए यही काफी है कि वह बच्चों की देखभाल करें और घर संभाले, सुव्यवस्थित समाज में परिवार चलाने का अतिरिक्त भार उन पर नहीं होना चाहिए, पुरुष का धर्म है कि वह सृष्टि चलाएं और स्त्री घर का प्रबंधन करें इस प्रकार दोनों एक दूसरे के कार्य में योग तथा सहायता देते हुए एक–दूसरे के श्रम के पूरक बने।

महात्मा गांधी भारतीय नारी का पाश्चात्य नारी की नकल कर तितली बन जाना बुरा समझते थे तभी तो वे महिलाओं से कहते हैं भारत माता को शिक्षित स्त्रियों की आवश्यकता है उन्हें पाश्चात्य के अनुकरण की आवश्यकता नहीं, यह उन्हीं के लिए उचित है उन्हें भारतीय वातावरण और भारतीय मेधावी के अनुरूप ही ढंग का उपयोग करना चाहिए। इनके हाथ बलि नियंत्रण, शील, शोधार्थी और दृढ़ होने चाहिए, जिससे हमारी संस्कृ ति की अच्छी बातों को सुरक्षित रख सके और निकृष्टता को बिना संकोच अलग कर सके। यह सीता, द्रोपदी, सावित्री और दमयंती जैसे स्त्रियों का कार्य है, ना ही पुरुषों की नकल करने वाली स्त्रियों का। पुरुषों की भांति बाल कटवा कर, उनकी जेब काटने को आतुर नारियों को महात्मा गांधी अच्छा नहीं समझते थे बढ़ती हुई फैशन प्रवृत्ति, विलासिता, चंचलता, स्वार्थपरता, स्वच्छ युवतियों को पतित कर देगी यही उनकी मान्यता थी। हर पत्नी सीता हो और हर पति राम हो यही उनकी हार्दिक इच्छा थी क्योंकि सीता ने अपने को सजा–संवार कर राम को रिझाने के लिए अपने पावन जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया जबकि आजकल की युवतियां विलास सामग्री की खोज में आधा दिन बर्बाद कर, शॉपिंग सेंटर में भ्रमण कर भारत के धन का अपव्यय कर रही है और समय का दुरुपयोग भी। महात्मा गांधी तो चाहते थे कि भारतीय स्त्री विदुषी या ईश्वर प्रदत प्रतिभा, ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का सदुपयोग कर पुरुषों के लिए मर्यादा और आदर्श प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियां धन अर्जित भी करें, इस विषय में महात्मा गांधी लिखते हैं मेरी कल्पना में समाज की जो नई व्यवस्था है उसके अनुसार सभी अपनी–अपनी शक्ति के अनुसार काम करेंगें और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा बदला मिलेगा, उसने व्यवस्था में स्त्रियां थोड़े समय के लिए श्रम करेगी, क्योंकि उनका मुख्य काम घर की देखभाल करना होगा। क्योंकि मैं नहीं समझता की बंदूक के लिए नई समाज व्यवस्था में स्थाई जगह होगी इसलिए पुरुषों के जीवन में भी बंदूक का उपयोग धीरे–धीरे कम किया जाएगा और जब तक उसका उपयोग होता रहेगा तब तक उसे एक जरूरी बुराई समझकर ही सहन किया जाएगा पर मैं जानबूझकर इस बुराई की छूत स्त्रियों को नहीं लगने दूंगा।

दुर्भाग्य से नारी का कार्य क्षेत्र अधिकतर यौवन में साज श्रंगार कर अपने पति के अहम एवं सुखविलास की सृष्टि करना माना जाता है पहले तो वह सीधी सरल होती है किंतु पुरुष उन्हें विलासिनी और उच्छ्श्रृंखल खेल बना डालते हैं अन्यथा उनका कार्य केवल पुरुष प्रसाधन करने ही नहीं, घर की चक्की में जुटे रखना मात्र भी नहीं, उनके सामने समाज का व्यापक दायरा है वह नारी समाज

की नाना अभागी बहनों की सेवा कर सकती है। आज की शिक्षित नारी अपनी स्वाधीनता और समानता के अधिकार को पहचान चुकी है और इस नव आलोक के प्रणेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने उसे सनातन हिंदू धर्म की कुरीतियों के बंधन से मुक्त कराते हुए भी कल्याणकारी नीतियों से चिपके रहने की शिक्षा दी तभी तो आज की शिक्षित नारी में चारित्रिक, वैचारिक और व्यक्तिक तत्वों का प्रवेश हो गया है, वह कोमल समाज भीरु पर्दे में कैद अशिक्षित पुराण पंथी नहीं रह गई, व्यक्तिवादी स्वच्छंद शिक्षित नहीं, समाज चेतना के प्रति जागरूक दृढ़ विद्रोही नारी बन चुकी है जो होड़ भी ले सकती है। उनका साथ देने के लिए समाज और धर्म के ठेकेदारों से भिड़ सकती है अर्थात वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सीख गई अब वह भीगी बिल्ली नहीं शेरनी बन गई है।

सेवा त्याग बलिदान, सत्य निष्ठा, सामाजिक न्याय और अहिंसा कि वह जीती जागती मूर्ति है पुरुष की तुलना में वासना पर उसमें प्रभुत्व जमा लिया है, वह रीतिकालीन विलासिनी नायिका नहीं रही, आधुनिक बन स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी बनी, भारतीय स्वतंत्रता की शिक्षिका बन राजनीति की चतुर खिलाड़ी बनी इसका परिचय महात्मा गांधी के सानिध्य में शिक्षा–दीक्षा प्राप्त श्रीमती विजय लक्ष्मी पांडे ने दिया जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षा बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया जो 55 करोड़ भारतीय जनता की सर्वप्रिय नेता बन लंबे समय तक प्रधानमंत्री का कार्य सुचारू रूप से चलाती रहीं और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने दिया है जिन्होंने अपने त्याग से प्रधानमंत्री पद को भी छोड़ दिया।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी मातृत्व को संसार का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य मानते थे जिसे वे सहर्ष स्वीकार करती है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाती है वह जो संस्कार डालती है संतान वैसी ही बनती है। महात्मा गांधी तो मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि उनमें जो अच्छाई है वह मां की बदौलत है अतः नारी श्रद्धा आदर–सम्मान और सत्य प्रेम की अधिकारी है, यह अधिकार नारी को प्राप्त हो इनके लिए जीवन भर बापूजी संघर्षरत रहे उन्होंने नारी जाति की बंधन को भी मिटाना चाहा इसके लिए उन्होंने ठोस उपाय बताते हुए लिखा है वैश्यालयों की समस्या हल करने का उचित तरीका तो यह है कि स्त्रियां दोहरा प्रहार करें (1) उन स्त्रियों को जो जीविका के लिए अपनी इज्जत बेचती हैं और (2) पुरुषों में, उन पुरुषों को शर्म आए क्योंकि जिन्हें वह अज्ञान व अभिमान वश अबला समझते हैं, ज्यादा अच्छा व्यवहार करने के लिए समझाएं महात्मा गांधी वेश्यावृत्ति की तरह देवदासी की प्रथा भी मिटाने चाहते थे, धर्म के महान पर्व पर देवदासी प्रथा को कोढ कहते हैं जिसे पुरुष ने, अधिकतर धर्म नेताओं ने अपनी लम्परता के लिए खोज निकाला। महात्मा गांधी ने अनुसार यह भयंकर दुराचरण है जिसे शीघ्रातिशीघ्र त्याग देना चाहिए महात्मा गांधी नारी जाति को देवी कम सच्ची मानवी अधिक बनाना चाहते थे मन जो भौतिक अधिकार और कर्तव्य को समान रूप से पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, सीता जी ने इस शक्ति को पहचान लिया था तभी तो पतिव्रत की रक्षा के लिए अपनी शुद्धता के आगे रावण के राक्षसी बल को झुका दिया था, महात्मा गांधी ने बता दिया कि अब स्त्री की खोई प्रतिष्ठा उसे दिलाने का समय आ गया है, संसार में आतंक की, अन्याय की, शोषण की दुहाई मची हुई है। स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है, इसे समाप्त करने में वात्सल्य सेवाशील और त्याग ही साक्षात मूर्ति नारी ही आगे आ सकती है क्योंकि वह अबला नहीं चंडी है, महात्मा गांधी ने लिखा है अगर पुरुष ने अपने अंदर स्वार्थ वश होकर स्त्री की आत्मा को कुचलने दिया होता जैसे कि उसने किया है या स्त्री उसके आगे झुक नहीं जाती तो वह दुनिया के सामने अपने भीतर की अपार शक्ति प्रकट कर सकती थी।

वास्तव में इस तरह जीवन में जो भी पावन है उसकी प्रतीक है स्त्री। अपने अज्ञान में निस्पंद सहिष्णुता के कारण शोषित होती आई है उसे संगठित होकर अब आगे बढ़ना है और अज्ञान प्रमाद विलास के बंधन को काटकर नई रोशनी की किरणों को ग्रहण करते हुए आत्मविकास करना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मण्डेलवाम डी.जी. 1972, सोसायटी इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन*
2. *श्रदरमुण्ड, इंदिरा 1976 महात्मा गांधीज हरिजन मार्ग 12।*
3. *नरायण, के.आर.1981, द रीवेल– वी.के. आहुलवालिया एवं शशि आहुलवालिया (संपादित) बी.आर.अम्बेडकर एण्ड हॉमन राइटस, दिल्ली, विवेक।*
4. *समाजवाद, सर्वोदय और लोकतन्त्र, पटना, बिहार हिन्दी ग्रन्थ।*
5. *जैन प्रतिभा 1980, डिप्रेस्ड क्लास मवमेंन्टः द गांधियन एप्रोच, गांधी मार्ग 20।*
6. *डिसूजा वी.एम.1981, इनेक्वीलिटी एण्ड इट्स परपेचुएशन : अ थियरी ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन, नई दिल्ली, मनोहर।*
7. *देसाई आर.पी. 1979 द कानसेप्ट ऑफ द डिजायर्ड टाइप ऑफ सोसायटी एण्ड द प्रोब्लम ऑफ सोशल चेंज, सोशियोलोजिकल बुलेटिन 28(1–2) : 1–8।*
8. *देवी, लक्ष्मी 1982, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 (संशोधन) 1976 : सम ऑब्जर्वेशन इण्डियन जर्मन ऑफ सोशल वर्क 43 (1): 77–82*
9. *धर्माधिकारी, डी. 1985, सर्वोदय दर्शन काशी, अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ। लोकनायक जयप्रकाश जिन्होने असफलता को सफलता का सोपान माना, रूलर इण्डिया 44 (409) : 313–15।*